विषय "कलाकार संवर्ग नियमावली, 2017"

173

बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

संचिका सं0–स्था0(मु0)1–601 / 2008 खंड–2...46...., सू0ज0स0वि0.पटना, दिनांक–21/2/

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के सदस्य मोद मंडली के पदों पर भर्त्ती एवं सेवा के विनियमन और प्रोन्नति का आधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं–

बिहार सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग कलाकार संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2017

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ – (1) यह नियमावली सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग कलाकार संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2 परिभाषाएँ 1 – इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार,

(ख) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

(ग) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार,

(घ) 'अनुबंध' से अभिप्रेत है निश्चित राशि पर निश्चित अवधि के लिए नियुक्त कर्मी,

(ड़) संवर्ग के सदस्य से अभिप्रेत है सदस्य मोद मंडली संवर्ग में नियुक्त / कार्यरत कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल हैं

(च) 'वर्ष' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अथवा 01 अप्रील से अगले वर्ष 31 मार्च, तथा

(छ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3 संवर्ग की संरचना– "सदस्य मोद मंडली संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी:–

क्र0	कोटि का नाम	स्तर	वेतन बैंड का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड–वेतन
1	सदस्य मोद मंडली	मूल कोटि	पीबी–1	5200–20200	2800
2	सदस्य मोद मंडली ग्रेड–1	प्रथम प्रोन्नति का स्तर	पीबी–1	9300–34800	4200
[illegible]	सदस्य मोद मंडली [illegible]	द्वितीय प्रोन्नति का स्तर	पीबी–1	9300–34800	4600
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6. **मूल कोटि में भर्त्ती –**

(I) मूल कोटि 5200–20200/–, पीबी–1 ग्रेड पे–2800 के पदों पर सीधी भर्त्ती आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी।

(II) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होगी।

(III) नृत्य, वादन, ग्रीन रूम मेकअप, साज–सज्जा, लोक संगीत, सुगम संगीत तथा शास्त्रीय संगीत के राग एवं धुनों का ज्ञान आवश्यक होगा तथा डिप्लोमा या इसके समकक्ष।

7 उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा कि राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये।

8 आर्हता धारकों को कलाकार/ सदस्य मोद मंडली के पदों के योग्य सामान्य जानकारी की जाँच में सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसके लिए कुल प्राप्तांक 100 होगा। जाँच परीक्षा के प्राप्तांक एवं व्यावहारिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी और उसी सूची के आधार पर आयोग इस विभाग को अनुशंसा कर सकेगी।

9 आरक्षण– रिक्तियों का आंकलन प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील को करने के पश्चात् ही वास्तविक एवं सम्भावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी से क्लीयरेंश कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रील तक भेजी जायगी।

10 मेधा सूची की वैधता–आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची की वैधता एक वर्ष तक ही रहेगी। आयोग द्वारा उतने ही उम्मीदवारों की अनुशंसा की जायगी जितने के लिए अधियाचना प्राप्त हुई हो। प्रतीक्षा पैनल नही रहेगा।

11 परीक्ष्यमान अवधि/सम्पुष्टि – नियुक्ति के बाद दो वर्षो तक परीक्ष्यमान अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने तथा सम्पुष्टि के लिए निर्धारित अन्य आर्हताएँ पूरा करने पर सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

मूल कोटि के अन्तर्गत कलाकार/सदस्य मोद मंडली की कार्य क्षमता एवं प्रदर्शन को आकने के लिए विभाग के निदेशक, प्रभारी पदाधिकारी, गीत नाट्य द्वारा इनकी अनुशंसा के उपरात ही इनकी सम्पुष्टि या सेवा से निष्कासित करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

12 राज्य सरकार आवश्यकतानुसार नियमित नियुक्ति के बदले अनुबंध के आधार पर एक निश्चित राशि एव अवधि के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाते हुए नियुक्ति कर सकेगी।

13. **प्रोन्नति –** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत सभी नियमों से आच्छादित होगे।

14 कालावधि – प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि का अनुपालन अपेक्षित होगा।

15 विभागीय प्रोन्नति समिति–

(I) मूल कोटि से कोटि–2 में निदेशक की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति हो सकेगी।

प्रोन्नति समिति की सरंचना–

(क) निदेशक, सू0ज0स0वि0	अध्यक्ष
(ख) अवर सचिव/ उप सचिव/ संयुक्त सचिव, सू0ज0स0वि0	सदस्य
(ग) कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसचित जाति/ जन जाति के प्रतिनिधि (जो उप सचिव से अन्यून न हो)–	सदस्य
(घ) विभाग द्वारा मनोनीत तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य

(II) [illegible] में प्रोन्नति हेतु विचारार्थ [illegible]

(171)

प्राप्त किसी कलाकार (विशेषज्ञ) जिसे विभाग द्वारा मनोनीत किया जायगा, सदस्य होंगे।

(III) कोटि–2 से कोटि–1 में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय विशेषज्ञों की उप समिति प्रयोगिक जाँच करेगी। प्रोन्नति हेतु अहर्ता के लिए ऐसी जाँच में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष ऐसी जाँच का परिणाम रखा जायगा, जिसके आधार पर समिति अपना निर्णय ले सकेगी।

16 नियत तिथि को कार्यरत सभी सदस्य मोद मंडली (स्थायी/अस्थायी/तदर्थ) इस संवर्ग के स्वतः सदस्य हो जायेंगे।

17 विविध –

(I) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उसके सम्बन्ध मे राज्य सरकार के कर्मियो के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।

(II) इस नियमावली के किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए विधि विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सक्षम विभाग होगा।

(III) यदि इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कठिनाई हो तो राज्य सरकार ऐसे कठिनाई का निराकरण बिहार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।

18 निरसन – कलाकारों की नियुक्ति/प्रोन्नति संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश निरसित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 21/2/17
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– स्था0(मु0)1–601/2008 खंड–2.....156.....सू0जस0वि0, पटना, दिनांक–21/2/17

प्रतिलिपि– उप सचिव, ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग को बिहार राजपत्र के आगामी ई–गजट मे प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त गजट की 200 (दो सौ) प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 21/2/17
सरकार के प्रधान सचिव